20-10-2020

प्रार्थी के वकील उपस्थित। पैरोकार राज्य उपस्थित। चूंकि मूल अपील खारिज निर्णित हो चुकी है ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

20/10/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.30 12:53:56 IST
Reason: SelfAttested